

॥ महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ॥

:: दिनांक 08.09.2022 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 08.09.2022 को महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्रीमती मालिनी अग्रवाल,
अति. महानिदेशक कारागार
राजस्थान, जयपुर। सदस्य
2. डॉ. सौम्या झा
संयुक्त शासन सचिव,
गृह (गुप-12) विभाग,
राजस्थान, जयपुर। सदस्य
3. श्री विक्रम सिंह,
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर। सदस्य
4. श्री रमेश कुमार दहमीवाल,
सहायक निदेशक (परिवीक्षा)
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
जयपुर। सदस्य

निम्न 02 बंदियों के खुला बंदी शिविर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये :-

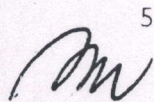
बंदी का नाम मय पिता	निरूद्ध कारागृह	याचिका संख्या	निर्णय दिनांक	प्राप्ति दिनांक
मेहर सिंह पुत्र करतार सिंह	के.का. जोधपुर	255/2022	05.08.2022	09.08.2022
राजकुमार पुत्र सरदार सिंह	के.का. बीकानेर	240/2022	27.06.2022	25.08.2022

स्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

1. मेहर सिंह पुत्र करतार सिंह, के.का. जोधपुर
बंदी द्वारा प्रकरण संख्या 64/2011 (38/2011) में दिनांक 31.12.2021 तक 10 वर्ष 07 माह 27 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।







5



दिनांक 10.03.2022 को आयोजित बंदी खुला शिविर समिति की बैठक में बंदी के प्रकरण पर विचार कर एक अन्य प्रकरण में विचाराधीन होने से खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था। उक्त प्रकरण में माननीय अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या-7, जोधपुर महानगर के निर्णय दिनांक 26.04.2022 के द्वारा एक वर्ष ग्यारह म्हा के साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जो विचाराधीन अवधि में ही समाप्त हो गई है।

न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 255/2022 (मेहर सिंह बनाम राज्य व अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 05.08.2022 के प्रकाश में प्रकरण पर विचार करने हेतु आदेशित किया है।

अतः उक्त तथ्यों एवं माननीय न्यायालय के निर्णय के अध्याधीन समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी मेहर सिंह पुत्र करतार सिंह को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

अस्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

1. राजकुमार पुत्र सरदार सिंह, के.का. अलवर

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2021 तक 07 वर्ष 01 माह 17 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 25.04.2022 को आयोजित खुला बंदी शिविर की बैठक में उक्त प्रकरण पर विचार किया जाकर बंदी के प्रतिबंधित धारा 376 (2) (झ) आई. पी.सी. में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल) से दण्डित होने के कारण खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बन्दी राजकुमार द्वारा दायर याचिका संख्या 240/2022 में निर्देश प्रदान किये हैं कि बन्दी राजकुमार के प्रकरण को याचिका संख्या 532/2021 (संदीप बनाम राज्य व अन्य) में पारित निर्णय के प्रकाश में पुनः विचार किया जावे।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 532/2021 में पारित निर्णय के क्रम में दिनांक 19.01.2022 को बन्दी खुला शिविर समिति की बैठक में बन्दी सन्दीप पुत्र नवरंगी के खुला बन्दी शिविर प्रकरण पर विचार किया गया था। बन्दी संदीप द्वारा 16 वर्ष से कम आयु की बालिका, जो रिश्ते में उसकी साली थी, के साथ उत्तेजित भेदन यौन हमला कारित कर, बालिका की मृत्यु कारित करने का आशय व जानकारी रखते हुए उसके सिर पर पत्थर से मारकर चोटें कारित कर उसकी मृत्यु कारित करके साशय हत्या की गई थी। उसके द्वारा कारित कृत्य के फलस्वरूप बन्दी सन्दीप पुत्र नवरंगी को भी खुला बन्दी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

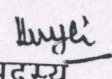
वर्तमान प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.06.2022 के क्रम में खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु विचार किया गया। बंदी राजकुमार पुत्र सरदार सिंह व अन्य 4-5 लोग दिनांक 08.07.2015 को रात्रि करीब 12.00 बजे पीडिता को मुंह दबाकर जबरन उठा ले गये। बन्दी राजकुमार की छाजा की नांगल बस स्टैंड पर टैट हाऊस की दुकान है, उसमें सुबह तीन बजे तक बंधक बनाये रखा तथा उसके साथ दुष्कर्म करते रहे। बन्दी के उक्त कृत्य के लिए अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम-2, सीकर द्वारा धारा 376(2)(झ) भारतीय दण्ड संहिता के अधीन बन्दी को आजीवन कारावास अर्थात् शेष प्राकृत जीवन तक है, के दण्ड से दण्डित किया गया।

वर्तमान में बंदी की आयु लगभग 31 वर्ष है। बंदी खुला शिविरों में बंदियों के परिवार भी निवास करते हैं जिनमें उनकी पत्नी एवं पुत्रियां भी सम्मिलित है। बंदी द्वारा शिविर में अथवा शिविर के बाहर ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

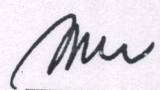
माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.क्रिमीनल रिट पिटीशन संख्या 189/2022 में निर्णय दिया गया है कि बन्दी के खुला बन्दी शिविर के प्रकरण पर विचार करते समय अपराध की गंभीरता, बन्दी द्वारा पुनः अपराध कारित करने की संभावना तथा खुले बन्दी शिविर में रह रहे अन्य बन्दीयों पर पडने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखना चाहिये।

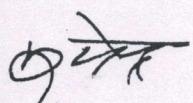
अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए समिति द्वारा बंदी के कारित अपराध को ध्यान में रखते हुए बंदी राजकुमार पुत्र सरदार सिंह को खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।


सदस्य
सहायक
निदेशक
(परिवीक्षा)
सामाजिक
न्याय एवं
अधिकारिता
विभाग,
जयपुर।


सदस्य
सचिव
महानिरीक्षक
कारागार
राजस्थान,
जयपुर।


सदस्य
संयुक्त शासन
सचिव, गृह
(गुप-12)
विभाग,
राजस्थान,
जयपुर।


सदस्य
अति.
महानिदेशक
कारागार
राजस्थान
जयपुर।


अध्यक्ष
महानिदेशक एवं
महानिरीक्षक
कारागार
राजस्थान
जयपुर।